

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 112/2023

अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र सन्तलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. गंगादेवी पत्नी मांगीलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्री लूणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. परमेश्वर पुत्र लूणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र लूणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रूकमणी देवी पत्नी लूणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
9. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर हाल पीएनबी शाखा नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 22/08/2025


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता स0 26/26 के ख0न0 248 की 5.8170 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगडा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता स0 26/26 के ख0न0 248 की 5.8170 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 परोकारा राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मि किया गया। वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ता किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर  
Page 1 of 2

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता सा0 26/26 के ख0न0 248 की 5.8170 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. गंगादेवी पत्नी मांगीलाल, मांगीलाल पुत्र संतलाल जाति सोनी सा0 नोहर बहिब खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर— ख0न0 248 में से 2.024 हैक्ट (उत्तरी पासा)
2. किशनलाल पुत्र नोरंगराम 1897/3793 हि0, कौशल्यु पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, परमेश्वर पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, पवन कुमार पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, रूकमणी देवी पत्नी लुणाराम 237/3793 हि0 कौम ब्राहमण सा0 नोहर, रामप्रताप पुत्र भादरराम 948/3793 हि0 कौम जाट सा0 भोगराना खातेदार रहन किशनलाल का हि0 एसबीआई शाखा नोहर, रामप्रताप का हि0 ओबीसी शाखा नोहर — ख0न0 248 में से 3. 793 हैक्ट (दक्षिणी पासा)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 112/2023

अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र सन्तलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. गंगादेवी पत्नी मांगीलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

### बनाम

1. किशनलाल पुत्र नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्री लुणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. परमेश्वर पुत्र लुणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र लुणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रूकमणी देवी पत्नी लुणाराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
9. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर हाल पीएनबी शाखा नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 112 सन 2023 निर्णय दिनांक 22/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता स0 26/26 के ख0न0 248 की 5.8170 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. गंगादेवी पत्नी मांगीलाल, मांगीलाल पुत्र संतलाल जाति सोनी सा0 नोहर बहिब खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर- ख0न0 248 में से 2.024 हैक्ट (उत्तरी पासा)
2. किशनलाल पुत्र नोरंगराम 1897/3793 हि0, कौशल्या पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, परमेश्वर पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, पवन कुमार पुत्र लुणाराम 237/3793 हि0, रूकमणी देवी पत्नी लुणाराम 237/3793 हि0 कौम ब्राहमण सा0 नोहर, रामप्रताप पुत्र भादरराम 948/3793 हि0 कौम जाट सा0 भोगराना खातेदार रहन किशनलाल का हि0 एसबीआई शाखा नोहर, रामप्रताप का हि0 ओबीसी शाखा नोहर - ख0न0 248 में से 3.793 हैक्ट (दक्षिणी पासा)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 22/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर